

कार्यालय अचल अधिकारी, करा।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं०-.....19/2017-18

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी
<p>27.10.20</p>	<p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-03 खा०म०निति-119/85/2308/रा० दिनांक:- 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा०, दिनांक:-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा <u>गोसा</u> थाना नं० <u>140</u> खाता नं० <u>70/5</u> खेसरा नं० <u>7/965</u> रकबा <u>0.90</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास अनावाद बिहार (झारखण्ड) के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी- II के जिल्द संख्या <u>2</u> के पृष्ठ संख्या <u>88</u> पर जमाबंदी रैयत <u>रघुशंकर</u> <u>पिता/पति रघुनाथ शर्मा</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाम एवं राज्य का क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय। अभिलेख दिनांक <u>02.11.20</u> को रखें। लेखापति एवं संशोधित अचल अधिकारी</p>	<p>की गई कार्रवाई की टिप्पणी</p>

आदेश का
क्रमांक / तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का इस्ताफ़र

डी. पी.
कार्वाइ गट
दिनांक

02-11-2020
अभिलेख उपस्थापित। खास सूचन का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा अनुपरिथत। जमाबंदी रैयत रूपु कुम्हार पिता खेदुवा कुम्हार के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है।

जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा गोसो, थाना नं० 149 के सर्वे खतिरान में खाता सं० 70 प्लॉट सं० 07 भूमि गैरमजसुआ खास जंगल मझोला दर्ज है। राजस्व मांग पंजी II में खाता सं० 70/5 प्लॉट सं० 7/965 रकबा 0.90 एकड़ भूमि रूपु कुम्हार पिता खेदुवा कुम्हार के नाम दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। प्राधिकार कॉलम में पुराना पंजी II के पृष्ठ सं० 88 से दर्ज किया, दर्ज है।

संबंधित पक्ष के द्वारा भूमि बन्दोबरती/जमाबंदी से संबंधित पर्याप्त व नियमानुकूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। रैयत द्वारा वर्षवार लगान जमा दर्ज नहीं पाया गया। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का स्पष्ट दरखल-कब्जा नहीं है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा गोसो थाना नं० 149 खाता सं० 70/5 प्लॉट सं० 7/965 रकबा 0.90 एकड़ भूमि का जमाबंदी रैयत रूपु कुम्हार पिता खेदुवा कुम्हार के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा गोसो थाना नं० 149 खाता सं० 70/5 प्लॉट सं० 7/965 रकबा 0.90 एकड़ भूमि की जमाबंदी जो B.I.R. ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खंडी को भेजे।
लेखित संशोधित।

अंचल अधिकारी

करा।

अंचल अधिकारी

करा।